न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 41/20

1 रमेशकुमार पुत्र मेजरसिंह जाति बावरी निवासी चक 2 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. प्रदीपकुमार पुत्र मेजरसिंह जाति बावरी निवासी चक 2 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. विद्यादेवी पत्नी मेजरसिंह जाति बावरी निवासी चक 2 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर। .....
प्रार्थीगण

बनाम

1 मेजरसिंह पुत्र करतारसिंह जाति बावरी निवासी चक 2 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. उपपंजीयक, खाजूवाला।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला .....
अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

:निर्णयः दिनांक 06.09.21

प्रार्थनापत्र का ब्योरा इसप्रकार से है कि विवादित जमीन चक 2 केवाईडी के मु0नं0 196/43 का किला नं0 1 ता 15 कुल 15.00 बीघा कमाण्ड व मु0नं0 196/57 के किला नं0 16 ता 18, 21 ता 25 कुल 08.00 बीघा कमाण्ड व मु0नं0 216/1 के किला नं0 13 ता 19, 20, 21, 22 ता 25 की 12.16 बीघा कमाण्ड व मु0नं0 216/9 के किला नं0 19 ता 22 की 04.00 बीघा कमाण्ड इसप्रकार कुल तादादी 39.16 बीघा कमाण्ड भूमि प्रार्थी संख्या एक के नाम दर्ज है। प्रार्थी गण का कथन है की इस जमीन के संबंध में दोनों पक्षों के मध्य मौखिक परिवारिक बटवारा हो चुका है जिसके आधार पर प्रार्थीगण विवादित जमीन पर काबिज है। अब प्रार्थी संख्या 1 उस जमीन का बेचान करना चाहता है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अनुतोष चाहा गया था। इस सिलसिले में 16 जून 2020 को स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2022.02.10 15:08:37 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब प्रस्तुत किया गया है की विवादित जमीन में से मुरब्बा नंबर 196/43 की 15 बीघा जमीन उसने 1995 में धुड़ाराम से खरीदी थी। इसके अलावा बाकी जमीन प्रार्थी की माता हरनाम कौर के नाम दर्ज थी। यह जमीन हरनाम कौर की मृत्यु के पश्चात रजिस्टर्ड वसीयत के जरिए अप्रार्थी के नाम दर्ज हुई। इसलिए विवादित जमीन उसकी स्व अर्जित संपत्ति है।

इसके अलावा इस भूमि के संबंध में कभी भी कोई बंटवारा नहीं किया गया था। अप्रार्थी संख्या 1 का कहना है कि प्रार्थीगण उसके साथ मारपीट करते हैं। इस संबंध में पुलिस थाना में एफ आई आर दर्ज है और उसके द्वारा अपने दोनों पुत्रों को समस्त संपत्ति से बेदखल करने का नोटिस भी जारी करवाया हुआ है। इसलिए विवादित जमीन पर प्रार्थीगण का कोई हक नहीं है।

अदालत द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिए गए जवाब में उठाए गए बिंदुओं पर कोई प्रतिउत्तर पेश नहीं किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई सबूत भी नहीं पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो की विवादित जमीन के संबंध में कोई घरेलू बंटवारा किया गया था।

सब तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए हुए अदालत का मानना है क्योंकि विवादित राज्य जमीन अप्रार्थी संख्या 1 की स्व अर्जित संपत्ति है इसलिए प्रार्थीगण का संपत्ति में कोई हक निहित नहीं है। इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। दिनांक 16 जून 2020 को विवादित जमीन के संबंध में जारी किया गया स्थगन आदेश भी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2022.02.10 15:08:37 IST
Reason: SelfAttested